

ORIGINAL

भवन प्लान काद संख्या - 13/2010-11

आरक्षक नगरपालिका अधिनियम को धारा-108 के अन्तर्गत भवन प्लान की स्वीकृति निम्न शर्तों पर दी जा सकती है।

1. नक्शों की स्वीकृति दो वर्षों के लिए वैध रहेगी। उसके उपरान्त अनुरोध का पुनर्मान्यता कराना अनिवार्य होगा।
2. सड़क विस्तार हेतु छाड़ गई भूमि पट्टी को छोड़कर ही चहानदीतारों का निर्माण करना होगा।
3. स्वीकृत नक्शों से विचलन मान्य नहीं होगा।
4. भवन प्लान की स्वीकृति के पश्चात् यदि वह पाया जाता है कि आवेदक के पत्ता बजारी से स्वीकृति प्राप्त की है तो नगरपालिका अधिनियम के अन्तर्गत भवन प्लान की स्वीकृति रद्द दी जायेगी।
5. अन्य काई शर्तें -

भवन प्लान की स्वीकृति से भू-स्वामित्व का प्रमाण स्थापित नहीं होगा

[Signature]
07.0.12

उपरोक्त अधिनियम/सहायक अधिनियम
अनुसार कार्य, लोहरदया

[Signature]
07.6.12

कार्यपालक सहायक
अनुसार कार्य, लोहरदया

07/06



